[illegible]

[illegible]

— निर्णय —

[illegible] ग्राम [illegible] [illegible] हिन्दु मंदिर की [illegible] प्रोपर्टी है। [illegible] स्थित है। विवादित आराजी [illegible] राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज थी, जिसकी [illegible] के दादा/ससुर स्व. श्री इन्द्राज के नाम [illegible] के दादाजी/ससुर स्व. श्री इन्द्राज के परिवार के नाम [illegible] आराजी का [illegible] संख्या [illegible]

वो स्वीकार हुआ, जो कि दर्ज राजस्व रिकार्ड व हाल जमाबन्दी है। मिन वादीगण के दादाजी/ससुर स्व. श्री इन्द्राज का सजरा अंकित है। उक्त आराजी प्रतिवादी संख्या 1 को मिन वादी संख्या 1 के दादाजी व वादीयां संख्या 2 के ससुर स्व. श्री इन्द्राज की विरासत में मिली प्राप्त आराजी है। उक्त आराजी मिन वादीयां संख्या 1 की दादालाई की आराजी है। विवादित आराजीयात मिन वादीया संख्या 1 की हिन्दू परिवार की एनसेस्ट्रल प्रोपर्टी है जिससे मिन वादियां संख्या 1 को बाई बर्थ ऑफ लॉ हक हकूक प्राप्त है। विवादित आराजी वादियां संख्या 1 की दादालाई की आराजी है। जिस आराजी में प्रतिवादी का 1/6 हिस्सा निहित है। प्रतिवादी संख्या 1 जो कि एक शराबी किस्म का व्यक्ति है जो सानीपात की स्थिति में है और अपने भाईयों व दीगर लोगों के बहकावे में रहता है एवं जिसमें अपना भला बुरा सोचने की शक्ति बिल्कुल क्षीण है। जो कि उक्त आराजी को आये दिन बिना कोई परिवार जरूरत के अपने भाईयों व दीगर लोगों के बहकावे में आकर आराजी का बेचान करता रहता है। जबकि प्रतिवादी को इस प्रकार का कोई कानूनन हक प्राप्त नहीं है। जिसे उक्त आराजी मिन वादियां के दादा स्व. श्री इन्द्राज की विरासत से प्राप्त आराजी है। विवादित आराजीयात वादियां की हिन्दु परिवार की ऐनसेन्ट्रल प्रोपर्टी है जिसमें वादिया का मुताबिक जमाबन्दी हिस्सा व हक निहित है और प्रतिवादी उक्त आराजीयात में अपने हिस्से की जमीन को दीगर लोगों के बहकावे में आकर अपने हिस्से की आराजी को बेचकर मिन वादिया के हक व हकूकों को मिसमार करने की जुस्तजू में है। इसलिये अपने हकूकों की रक्षार्थ दावा इश्तकरारहक दायर करना लाजिम आया है। दिनांक 20.07.2019 को प्रतिवादी ने अपने भाईयों व दीगर लोगों के बहकावे में आकर आराजी को दीगर लोगो को बेचने की धमकी दी है और कहा कि मै उक्त आराजी से तुझे बेदखल कर दीगर लोगो को बेचान करूंगा तथा मिन वादिया को जबरन बेदखल करने की धमकी दी। यदि प्रतिवादी अपने इस नापाक इरादों में कामयाब हो गया तो मिन वादिया को अजहद हानि होगी और अपनी दादालाई की आराजी से बेदखल होना पडेगा जिसकी पूर्ति किसी भी सूरत में रूपयों में आंकी जाना संभव नहीं होगा। इसलिये अपने हकूको की रक्षार्थ वादिया प्रतिवादी को जरिये हुक्मइम्तनाई चन्दरोजा से पाबन्द कराने के अधिकारी है। हाल आराजी खसरा नम्बर 317 रकबा 0.10 है0, 377 रकबा 0.17 है0, 373 रकबा 0.94 है0, 535 रकबा 0.10 है0, 1205/380 रकबा 0.03 है0, 1270/383 रकबा 1.14 है0, 1018 रकबा 0.34 है0, 1019 रकबा 0.63 है0, 1020 रकबा 1.37 है0, 529 रकबा 0.67 है0, 530 रकबा 0.67 है0, 531 रकबा 0.72 है0, 532 रकबा 0.26 है0, 533 रकबा 0.74 है0, 688 रकबा 0.46 है0, 689 रकबा 0.53 है0, 690 रकबा 0.46 है0, 691 रकबा 0.53 है0, 408 रकबा 0.65 है0, 409 रकबा 0.86 है0, 411 रकबा 1.90 है0, 413 रकबा 0.58 है0, 414 रकबा 0.40 है0, 410 रकबा 0.59 है0, 384 रकबा 0.01 है0, 811 रकबा 0.68 है0,

841 रकबा 0.53 है0, 388 रकबा 0.26 है0 वाके ग्राम खिजूरीवास हाल तहसील टपूकडा जिला अलवर की आराजी के 1/6 हिस्सा में से 1/12 भाग का खातेदार घोषित किया जावें।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये समन तलब किया व जवाब दावा प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 उपस्थित होकर अपना इकबाल जवाब दावा प्रस्तुत किया जो शामिल पत्रावली किया गया।

वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 के मध्य राजीनामा प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि वाद में वर्णित विवादित आराजी वाके ग्राम खिजूरीवास में प्रतिवादी संख्या 1 के हिस्से में से वादीयां संख्या 1 का 1/2 भाग व प्रतिवादी संख्या 1 स्वयं का भी 1/2 भाग रहेगा। वादीयां संख्या 2 को आराजी से कोई अधिकार हासिल नहीं है।

पत्रावली का अवलोकन किया उभयपक्षकारान द्वारा प्रस्तुत राजीनामा पर मनन किया। प्रस्तुत राजीनामें के आधार पर दावा वादी डिक्री किया जाना न्यायोचित है।

अतः दावा वादीगण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाकर हाल आराजी खसरा नम्बर 317 रकबा 0.10 है0, 377 रकबा 0.17 है0, 373 रकबा 0.94 है0, 535 रकबा 0.10 है0, 1205/380 रकबा 0.03 है0, 1270/383 रकबा 1.14 है0, 1018 रकबा 0.34 है0, 1019 रकबा 0.63 है0, 1020 रकबा 1.37 है0, 529 रकबा 0.67 है0, 530 रकबा 0.67 है0, 531 रकबा 0.72 है0, 532 रकबा 0.26 है0, 533 रकबा 0.74 है0, 688 रकबा 0.46 है0, 689 रकबा 0.53 है0, 690 रकबा 0.46 है0, 691 रकबा 0.53 है0, 408 रकबा 0.65 है0, 409 रकबा 0.86 है0, 411 रकबा 1.90 है0, 413 रकबा 0.58 है0, 414 रकबा 0.40 है0, 410 रकबा 0.59 है0, 384 रकबा 0.01 है0, 811 रकबा 0.68 है0, 841 रकबा 0.53 है0, 388 रकबा 0.26 है0 वाके ग्राम खिजूरीवास हाल तहसील टपूकडा जिला अलवर प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज भूमि में से 1/2 भाग का वादी संख्या 1 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है शेष 1/2 भाग प्रतिवादी संख्या 1 के नाम ही दर्ज रहेगा। उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावें। पर्चा डिक्री जारी हो।

आदेश सुनाया गया।

(महेन्द्र सिंह)
उपखण्ड अधिकारी,
तिजारा (अलवर)